न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 37/2022 वाद
GCMS No. – 2022/00145

सुरेश पिता रामरतन जाति जाट आयु 42 वर्ष निवासी किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– वादी

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1– श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा – अधिवक्ता वादी
2– तसीलदार निम्बाहेड़ा – प्रतिवादी

::निर्णय:: दिनांकः– 27.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा कि खाता संख्या 38 कि आरजी नं0 198, 242, 244, 246, 250, 458, 460, 462, 515, 553, 555, 609, 610 कुल किता–14 कुल रकबा 9.1700 हैक्टेयर लगानी 228.5200 पैसे स्थित है जो मृतक कमला बाई पत्नी भैरूलाल जाट के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

2. यह कि वाद पत्र कि चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात भेरूलाल पिता वेणीराम जी जाट की थी भैरूलाल पिता वेणीराम जी जाट की मृत्यु दिनांक 01.02.1993 को हो गई थी उनकी मृत्यु उपरान्त समस्त वादग्रस्त भूमि उनकी बेवा कमला बाई के नाम दर्ज हुई क्योंकि भैरूलाल जी व कमला बाई के कोई जाईन्दा संतान नहीं थी इसलिए भैरूलाल जी ने अपने परिवार के भाई के लडके रामरतन जी के पुत्र सुरेश को जाति रस्म अनुसार अपने गोद बिठाया सुरेश ने ही भैरूलाल जी की मृत्यु उपरान्त जाति रस्म रिवाज अनुसार उनका अंतिम क्रिया कर्म व दस्तूर भी किया तथा भैरूलाल जी के जीवन काल में ही वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है अभी हाल ही में दिनांक 22.05.2019 को कमला बाई की भी मृत्यु हो गई जिनकी की मृत्यु उपरान्त सभी सामाजिक दायित्व भी बहैसियत पुत्र सुरेश द्वारा ही वहन किये गये तथा भेरूलाल व कमलाबाई की मृत्य के बाद सुरेश ही उनका एक मात्र

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

स्वामी अधिपति हुआ जिसे हेतु वादग्रस्त भूमि बावत् वादी प्रतिवादी से कमला बाई की भूमि कमलाबाई द्वारा निष्पादित तहरीर अनुसार नाम दर्ज करने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादी ने आज दिनांक तक वादी के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज नहीं की जिससे मजबूर होकर यह दावा वादी को घोषणा बावत् पेश करना पड़ रहा है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह घोषित किया जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात कमलाबाई के नाम दर्ज होने एवं कमलाबाई का एक मात्र वारिस वादी होने से वह अपना राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने प्रकरण में रिपोर्ट मय पटवार हल्का गुढाखेड़ा एवं भू0अ0 निरीक्षक बाड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय मौका पर्चा प्रस्तुत की। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार मौजा किशनपुरा की खाता संख्या 38 की आराजी नम्बर 198 रकबा 0.38 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 242 रकबा 1.24 हैक्टेयर, आराजी 244 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 246 रकबा 0.92 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 250 रकबा 1.99 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 458 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 460 रकबा 1.52 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 462 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 515 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 553 रकबा 0.97 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 554 रकबा 0.83 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 555 रकबा 0.80 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 609 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 610 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता–14 कुल रकबा 9.17 हैक्टेयर कुल लगान 228.52 रूपये भूमि खातेदार श्रीमती कमलाबाई पत्नी स्व. भेरूलाल जाट निवासी किशनपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौका अनुसार उक्त सम्पूर्ण आराजियात बाड़ी बांध के पेटे में स्थित होकर वादी सुरेश पिता रामरतन जाट का निर्विवाद कब्जा होकर जायद रबी फसल काश्त करता है। यह कि भेरूलाल पिता वेणीराम लाऔलाद फोत होने से पत्नी कमलाबाई के नाम भूमि दर्ज की गई थी। कमलाबाई के परिवार में भाई बन्धु नहीं होने से बहन के पुत्र रामरतन के साथ आखरी समय पर रहती थी, जिसकी सेवा सुरेश करता था, मृत्यु के बाद भी सभी सामाजिक रस्में सुरेश द्वारा ही किया जाना गांव के मौतबिरान द्वारा बताया गया।

4. वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का गुढाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 38 की प्रमाणित प्रति पेश की है जो प्रदर्श–1 है। कमला बाई का मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति प्रदर्श–2, पटवार हल्का गुढाखेड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा प्रदर्श–3, शोक पत्रिका की प्रति, वादी द्वारा पूर्व में तहसीलदार निम्बाहेड़ा को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 15.09.2021 की प्रति एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं पटवार हल्का गुढाखेड़ा का पर्चा मौका दिनांक 05.12.2021 की फोटोप्रति पेश की है। याददाश्त तहरीर/वसीयत नामा की फोटो प्रति पेश की हैं। वादी ने साक्ष्य वादी में मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 वादी सुरेश पिता रामरतन जाट का शपथपत्र, पीडब्ल्यू–2 परसराम पिता गमडीराम जाट का शपथ पत्र,

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

पीडब्ल्यू–3 रामेश्वरलाल पिता चुन्नीलाल का शपथपत्र, पीडब्ल्यू–4 लालचन्द्र पिता हजारीलाल जाट का शपथ पत्र पेश किया एवं इनके बयान लेखबद्ध किये गये।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त सार यह कि ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का गुढाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की वादग्रस्त खाता 38 की आराजी नं0 198, 242, 244, 246, 250, 458, 460, 462, 515, 553, 555, 609, 610 कुल किता–14 कुल रकबा 9.1700 हैक्टेयर भूमि जो पूर्व में भेरूलाल पिता वेणीराम के नाम दर्ज थी। भैरूलाल पिता वेणीराम जाट की मृत्यु दिनांक 01.02.1993 को हो गई थी। भेरूलाल की मृत्यु के उपरान्त समस्त वादगस्त आराजियात उनकी पत्नी कमलाबाई के नाम दर्ज हुई। भैरूलाल व कमलाबाई के कोई जाईन्दा संतान नहीं थी। इसलिए भैरूलाल जी ने अपने परिवार के भाई के लड़के रामरतन के पुत्र सुरेश को गोद रखा था। कमलाबाई की भी मृत्यु 22.05.2019 को हो गई। सभी सामाजिक दायित्य बहैसियत पुत्र वादी सुरेश द्वारा की गये। भैरूलाल के जीवन काल से वादी सुरेश वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। अब वादी सुरेश वादग्रस्त भूमि कमलाबाई के नाम होने एवं कमलाबाई का एक मात्र वारिस होने से वह अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहता है। प्रदर्श–1 ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का गुढाखेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 38 अनुसार आराजी नम्बर 198, 242, 244, 246, 250, 458, 460, 462, 515, 553, 555, 609, 610 कुल किता–14 कुल रकबा 9.1700 हैक्टेयर भूमि मु0 कमलाबाई पत्नी भेरूलाल जाति जाट सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–2 मृत्यु प्रमाण–पत्र अनुसार कमलाबाई की मृत्यु दिनांक 22.05.2019 को हो चुकी है। वादी सुरेश ने विरासत का नामान्तरण खालेने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को प्रस्तुत आवेदन की प्रति पेश की है। वादी ने एक याददाशत तहरीर/वसीयतनाम की फोटो प्रति पेश की है जिसमें कमला बाई ने वादी सुरेश के पक्ष में निष्पादित की हैं। उक्त याददाशत तहरीर/वसीयतनामा पर दो गवाह परसराम पिता घमण्डीराम जाट निवासी किशनपुरा एवं लालचन्द्र पिता हजारीलाल जाट निवासी किशनपुरा के हस्ताक्षर है। मौखिक साक्ष्य में वादी सुरेश ने स्वयं का पेश किया एवं बयान लिये गये जिसमें उन्होने अपने वादपत्र के कथनों का स्वीकार किया है। वादी ने कमला बाई द्वारा वादी सुरेश के पक्ष में निष्पादित याददाशत तहरीर/वसीयतनामा के दो स्वतंत्र गवाह परसराम पिता घमण्डीराम जाट निवासी किशनपुरा एवं लालचन्द्र पिता हजारीलाल जाट निवासी किशनपुरा के शपथ पेश किये एवं इनके बयान लिये गये। जिन्होनें अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एंवं बयानों में वादी कथनों को स्वीकार किया है एवं कमला बाई द्वारा वादी सुरेश के पक्ष में निष्पादित याददाशत तहरीर/वसीयतनामा पर अपने गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। सभी गवाहों ने अपने शपथ पत्रों एवं बयानों में भैरूलाल ने सुरेश को गोद लेना बताया है। भैरूलाल एवं कमलाबाई के सभी सामाजिक रीतीरिवाज वादी सुरेश द्वारा बहैसियत पुत्र करना बताया है। वादग्रस्त भूमि पर भैरूलाल के जीवन काल से ही वादी सुरेश का कब्जा काश्त होना बताया है। सभी

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

गवाहानें ने वादी कथनों की ताईद की है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि पर वादी सुरेश पिता रामरतन जाट का निर्विवाद कब्जा होना एंव काश्त करना बताया हैं।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भैरूलाल पिता वेणीराम ने वादी सुरेश को गोद रखा। वादी सुरेश भैरूलाल के जीवन काल से ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त था। भैरूलाल एवं कमलाबाई के सभी सामाजिक दायित्व, रीतिरिवाज, वादी सुरेश ने बहैसियत पुत्र किये। कमलाबाई ने वादी सुरेश के पक्ष में याददाशत तहरीर/वसीयतनामा निष्पादित जिसमें वादी सुरेश को गोद लेना बताया तथा सुरेश ने पुत्र की हैसियत से सभी धार्मिक रितिरिवाज करना बताया है। कमलाबाई की मृत्यु दिनांक 22.05.2019 को हो जाने से वादी सुरेश कमलाई बाई का एक मात्र वारिस होने से वादग्रस्त आराजियात अपने नाम घोषित कराना चाहता है। मौखिक साक्ष्यों ने वादी सुरेश को कमलाबाई का एक मात्र वारिस बताया तथा वादग्रस्त भूमि पर वादी सुरेश का कब्जा होना स्वीकार किया हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि पर वादी सुरेश का निर्विवाद कब्जा बताया है। अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा रिपोर्ट एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य एवं गवाही के आधार पर वादी का दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री योग्य है।

7. अतः वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा किशनपुरा पटवार हल्का गुढाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 38 की आराजी नम्बर 198 रकबा 0.38 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 242 रकबा 1.24 हैक्टेयर, आराजी 244 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 246 रकबा 0.92 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 250 रकबा 1.99 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 458 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 460 रकबा 1.52 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 462 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 515 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 553 रकबा 0.97 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 554 रकबा 0.83 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 555 रकबा 0.80 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 609 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 610 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता–14 कुल रकबा 9.17 हैक्टेयर भूमि वादी सुरेश पिता रामरतन जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा की खातेदारी की घोषित की जाती है। वादग्रस्त भूमि वादी सुरेश के नाम खातेदारी में दर्ज की जावें तथा वादग्रस्त भूमि में कमलाबाई का नाम विलोपित किया जावें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/23

रमेश सीरवी पुनमिड़िया
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा